



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 1727 / 174 सा0प्र0 / 2018

दिनांक 11 / 01 / 2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषय- डी0एस0आर0 के अन्तर्गत जी0एस0टी0 के प्राविधान के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-3694 / 333एम-कु0 / 17 दिनांक-01.12.2017।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में आपके द्वारा भवन कार्यो के आगणन में डी0एस0आर0 की दरों पर अतिरिक्त जी0एस0टी0 जोडे जाने हेतु निर्देश चाहे गये है। उक्त मे स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में डी0एस0आर0 की दरें Inclusive of all Tax जारी की गयी है

अतः आगणन गठन हेतु उक्त दरों में अलग से जी0एस0टी0 की राशि नहीं जोडी जानी है।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)

प्रतिलिपि:- आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.12.2017 सहित अपलोड करने हेतु प्रेषित।
संलग्न:- यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा



phone n0.05962-230294 FAX N0.05962- 230011

E-mail-cepwdkumaon@rediffmail.com

पत्रांक: 3694 / 333एम-कू0 / 017

दिनांक 01.12.2017

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषय:- डी0एस0आर0 के अन्तर्गत जी0एस0टी0 के प्राविधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ने अपने पत्रांक 2551 / डी0एस0आर0 दिनांक 07.10.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके खण्ड के अन्तर्गत पूल्ड हाउसिंग कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। डी0पी0आर0 में वैट घटाकर कोई दरें प्राप्त नहीं हैं तथा डी0पी0आर0 में कितना वैट लगाया गया है, यह प्रदर्शित नहीं है। इस हेतु दिशा-निर्देश चाहे गये हैं।

अतः डी0एस0आर0 की दरों में जी0एस0टी0 अलग से 12 प्रतिशत लगायी जाय अथवा नहीं? कृपया उक्त सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश देने की कृपा करें।

संलग्न:- पत्रानुसार।

स्टाफ आफिसर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्टाफ आफिसर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

1727/17511.9
26/12/17

20/12/17



Handwritten signature and date 21/12/17

Handwritten signature and date 26/12/17

Handwritten signature and date 1.12.17

10-1



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा



E-mail-ecda\morapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक 7/10/2017

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषय:- डी0एस0आर0 के अन्तर्गत जी0एस0टी0 के प्राविधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड के अन्तर्गत पूल्ड हाउसिंग कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु डी0पी0आर0 में वैट घटाकर कोई दरों प्राप्त नहीं हैं तथा डी0एस0आर0 में कितना वैट लगाया गया है, यह प्रदर्शित नहीं है। इस हेतु कोई दिशा निर्देश भी उच्च स्तर से नहीं मिले हैं। जैसा कि मार्ग एवं सेतुओं के शैड्यूल ऑफ़ रेट्स में जी0एस0टी0 हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः डी0एस0आर0 की दरों में जी0एस0टी0 अलग से 12 प्रतिशत लगायी जाय अथवा नहीं इस हेतु दिशा-निर्देश देने की कृपा करें, जिससे कि भवन कार्यों के आगणन गड़ित एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा सकें।

प्रकीर्ण
3694
10-10-17

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

~~महोदय~~
पत्रांक- 2551/डी0एस0आर0

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उक्त प्रकरण में उचित दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा
7/10/17

26/11/17
अधीक्षण